


अपील सूचना अधिकार संख्या 104/2021(GCMS 2021/160) (आरटीआई नं. 212758575815145) एवं 123/2021( GCMS 2021/202) श्री राधेश्याम गोयल जाति अग्रवाल, आयु 72 वर्ष, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर नं. 48 एफ/311031) बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर



05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जिसके सम्बन्ध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर ने उन्हें अपने पत्रांक F.12(1)(45)RTI/Elec./21/3433 दिनांक 09.07.2021 से जवाब दिया गया था तथा अपने पत्रांक F.12(1)(45)RTI/(ist-apl-6/20)Elec./21/4510 दिनांक 19.09.2021 से अपीलार्थी की अपील का अपने स्तर से निस्तारण करने हेतु आदेशित करने पर यह अपील दर्ज की गई है। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं हेतु अपीलार्थी ने एक अन्य अपील संख्या जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो अपील संख्या 123/2021 के रूप में दर्ज की गई है। अपील संख्या 104/2021 एवं 123/2021 में अपीलार्थी द्वारा एक ही सूचना चाही गई है, इसलिए दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 से निम्न आठ तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर



1. प्रार्थी का उपरोक्त पत्रांक आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. प्रार्थी के पत्रांक की बिन्दु संख्या एक में माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.19 में बीएलओ को स्वयं दोषी माना गया है व जांच रिपोर्ट में उसकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट दिनांक 17.06.2014 में लोकसभा चुनाव की मिथ्या सिद्ध मानी है, इस बाबत सूचना।
3. इस जांच रिपोर्ट पर प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में धारा 16 सीसी की चार्ज शीट बीएलओ को जारी होने के उपरान्त सेवा मुक्त न करने बाबत सूचना जिस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की।
4. तत्कालीन उप पंजीयक श्रीगंगानगर व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जिनके कार्यालय के अधीन लोकसभा चुनाव 2014 का कार्य का निष्पादन दिनांक 05.04.14 से 11.04.14 तक बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा किया गया था, उसके द्वारा उप पंजीयक श्रीमती संजू पारीक, श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई व श्री सुरेन्द्र जी पारीक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.20 की पालना में दोषी उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण की रिपोर्ट, श्रीगंगानगर के आधार व स्वयं बीएलओ श्री सुभाष गोयल की कार्य निष्पादन रिपोर्ट 17.06.14 की रिपोर्ट व उप पंजीयक, की कार्य निष्पादन रिपोर्ट दिनांक 05.08.14 व 17.06.14 के आधार पर बीएलओ श्री सुभाष गोयल को निलम्बन करने के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में RP Act 1950 व 1951 के अन्तर्गत दोषी कर्मकार बीएलओ का निलम्बन नहीं किये जाने की नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. माननीय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2018 की पालना में धारा 16 सीसी के अन्तर्गत बीएलओ श्री सुभाष गोयल के विरुद्ध दिनांक 30.03.20 तक की गयी कार्यवाही की सूचना।
7. अपराधिक कृत्य होने की वजह से बीएलओ के विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी है, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. दिनांक 05.04.2014 से 30.03.2020 तक बीएलओ श्री सुभाष गोयल के विरुद्ध उसे जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराये जाने के उपरान्त (जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2019 में) उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(03)(21)RTIनिर्वा/2021/1387 दिनांक 14.10.2021 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आवेदक श्री राधेश्याम गोयल 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर का आवेदन 07.06.2021-आईपीओ संख्या 48 एफ 311031 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ था। राज्य सूचना अधिकारी एवं संयुक्त

निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर द्वारा प्रार्थी को पत्रांक F12(1)(45)RTI/Elec./21/3433 दिनांक 09.07.2021 द्वारा आवेदन में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 8 के सम्बन्ध में बिन्दुवार जवाब प्रेषित कर दिया गया, जिसके पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

प्रार्थी को उसके आवेदन दिनांक 07.06.2021 के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर द्वारा बिन्दुवार जवाब प्रेषित किया जा चुका है। प्रथम अपील संख्या 104/2021 में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि प्रथम अपील संख्या 104/2021 खारिज फरमाई जावे।

-sd-


लोक सूचना अधिकारी एवं  
उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 से 8 का जवाब राज्य सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर द्वारा अपने पत्रांक F12(1)(45)RTI/Elec./21/3433 दिनांक 09.07.2021 से प्रार्थी को दी जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से

यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार राज्य सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित खारिज की जाती है। आदेश की प्रति राज्य सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निर्वाचन अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरन्त तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सौरभ स्वामी)  
**जिला कलेक्टर**  
**श्रीगंगानगर**